

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/(स्वे.से.नि. वॉ-1)/2018/ दिनांक :

आदेश

श्री चान्दमल भट्ट, वरिष्ठ सहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बडी सादडी, चित्तौडगढ जिनकी जन्म तिथि 06.04.1960 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के अनुसरण में दिनांक 01.11.2018 से स्वेच्छक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। दिनांक 01.11.2018 को अकार्य दिवस होगा।

कर्मचारी के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

S-2
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/(स्वे.से.नि. वॉ-1)/2018/2681

दिनांक : 08/10/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बडी सादडी, चित्तौडगढ।
4. डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
5. श्री चान्दमल भट्ट, वरिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
6. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर